

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(सा. 509)/2018/ दिनांक:-

आदेश

श्रीमती मीना मेहता, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उप स्वास्थ्य केन्द्र, चौपासाग, खण्ड परतापुर, जिला बांसवाडा को परिवीक्षाकाल अवधि में उनकी स्वयं की प्रार्थना पर निम्नानुसार असाधारण अवकाश अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 20.03.2017 से 18.04.2017 तक 30 दिवस का असाधारण अवकाश।
2. दिनांक 24.04.2017 से 06.05.2017 तक 13 दिवस का असाधारण अवकाश।
3. दिनांक 01.11.2017 से 10.11.2017 तक 10 दिवस का असाधारण अवकाश।


वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या F.1(2)FD(Rules)/06/Part-1 दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक उनके परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।

8 -

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(सा. 509)/2018/4207 दिनांक:- 27/12/18
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाडा।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, परतापुर (जिला बांसवाडा)।
3. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।



(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर